रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937
No. 390] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## अधिसूचना

मुंबई, 24 नवंबर,2015

**सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा, कांडला पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैधता, एतद्द्वारा इसके साथ संलग्न आदेश अनुसार बढ़ायी जाती है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

## मामला सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी

**कांडला पत्तन न्यास** ..... **आवेदक**

## आदेश

(नवंबर 2015 के 10 वें दिन पारित)

यह आदेश कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता अवधि में बढ़ोत्तरी से संबंधित है।

2. केपीटी के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/61/2009-केपीटी दिनांक 18 जनवरी 2011 के अंतर्गत अनुमोदित किये गये थे जिन्हें भारत के राजपत्र में 22 फरवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च 2013 तक निर्धारित की गई थी। इस प्राधिकरण द्वारा वर्तमान दरमानों की वैधता की तिथि दो बार बढ़ायी गई है और पिछली बढ़ोत्तरी दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के आदेशानुसार 30 सितम्बर, 2015 तक थी।

3. केपीटी ने दरमानों में परिशोधन के लिए पत्र सं एफए/सीओएसटी/ 1021-आर(2012-13)/509 दिनांक 2 सितंबर, 2014 के पत्र अंतर्गत 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । इस प्रस्ताव पर संबंधित पणधारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। उपयोक्ता/उपयोक्ता संगठनों से फीडबैक के तौर प्राप्त सूचना पत्तन को भेज दी गई थी। इस विषय पर संयुक्त सुनवाई अभी की जानी थी ।

4.1. इस दौरान पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. 8(1)/2014-टीएएमपी दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अंतर्गत नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015' जारी कर दी गई जिसे इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र सं 30 पर दिनांक 27 जनवरी, 2015 को अधिसूचित किया गया। यह नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015' 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी हो गई है।

4.2. पोत परिवहन मंत्रालय की नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015' में उल्लिखित प्रशुल्क निर्धानण प्रक्रिया, 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निधारित प्रशुल्क निर्धारण पद्धति से बहुत भिन्न है अत: वीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस परिप्रेक्ष्य में इस प्राधिकरण द्वारा जारी 13 फरवरी, 2015 के आदेश के अंतर्गत केपीटी के दरमानों के सामान्य परिशोधन के प्रस्ताव को बंद कर दिया गया था । वीपीटी को पोत परिवहन मंत्रालय की घोषित नई प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत नया परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दे दिया गया है।

5. प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 1.5 के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क नीति 2015 के कार्यान्वयन के लिए महापत्तन नयासों के परामर्श से भारत के राजपत्र में, 04 जून 2015 को राजपत्र सं 207 के अंतर्गत कार्यकारी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन केपीटी द्वारा नई प्रशुल्क नीति-2015 के अनुसरण में अपना प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है।

6.1. केपीटी के द्वारा उनके दिनांक 20 अक्तूबर 2015 के पत्र में उल्लेख किया गया है कि संशोधित प्रस्ताव, नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क निर्धारण नीति-2015 के अंतर्गत अंतिम रुप से तैयार किया जा रहा है और केपीटी के न्यासी बोर्ड की आगामी बैठक में अनुमोदन के पश्चात उसे महापत्तन प्रशुल्क आधिकरण को भेज दिया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में केपीटी द्वारा मौजूदा दरमानों की वैधता तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है । केपीटी से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात उस पर नई प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुसरण में ही कार्रवाई की जा सकेगी ।

6.2. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनज़र, यह प्राधिकरण द्वारा केपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता की अंतिम तिथि 31 मार्च 2016 या संशोधित दरमानों के कार्यान्वित होने की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो, को बढ़ायी जाती है । केपीटी को निदेश दिए जाते हैं कि दरमानों में सामान्य परिशोधन का अपना प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 2015 तक प्रस्तुत करे ।

6.3. 01 अप्रैल, 2013 के बाद केपीटी के किसी अन्य मामले का निस्तारण नई 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति-2015' के अनुसार किया जाएगा ।

टी. एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/143/15(278)]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

## NOTIFICATION

Mumbai, the 24th November 2015

**No. TAMP/61/2009-KPT.—**In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No.TAMP/61/2009-KPT**

The Kandla Port Trust --------- Applicant

**ORDER**

(Passed on this 10th day of November 2015)

This Order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kandla Port Trust (KPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the KPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/61/2009-KPT dated 18 January 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 February 2011. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2013. This Authority has extended the validity of SOR of KPT on couple of occasions; the last extension being till 30 September 2015 vide Order dated 28 April 2015.

3. The KPT had filed its proposal for revision of its SOR vide its letter no. FA/COST/1021-R (2012-13)/509 dated 2 September 2014 formulated under 2005 guidelines. The proposal was taken up for consultation with the relevant stakeholders. The comments received from users/ user organization were forwarded to the Port as feedback information. The joint hearing in the subject case was to be scheduled.

4.1. In the meantime, the Ministry of Shipping (MOS), vide its Letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015 has issued the new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" which was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 30 dated 27 January 2015 by this Authority. The new "Policy for determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has come into effect from 13 January 2015.

4.2. The tariff fixation process envisaged in the new Tariff Policy of 2015 for Major Port Trust by MOS, is significantly different from the tariff fixation method stipulated in the Tariff Guidelines of 2005. Hence, the proposal filed by KPT could not be processed under 2005 guidelines. In view of this, this Authority vide its Order dated 13 February 2015 has closed the KPT proposal dated 2 September 2014 for general revision of its Scale of Rates. The KPT was advised to file a revised proposal in accordance with the new Tariff policy of 2015 announced by the MOS.

5. As per Clause 1.5 of Tariff Policy, 2015, this Authority has notified the working guidelines to operationalise the Tariff Policy, 2015 in consultation with all Major Port Trusts in the Gazette of India on 4 June 2015 vide Gazette No.207. However, the KPT is yet to file its proposal following new Tariff Policy, 2015.

6.1. The KPT vide its letter dated 20 October 2015 has stated that the Revised Proposal as per new Policy for determination of Tariff for major Port Trusts, 2015 is under finalisation and after approval of Board of Trustees of KPT in its ensuing meeting and same shall be sent to TAMP. In view of this, the KPT has requested to extend validity of existing SOR. The proposal when received from KPT will have to be processed following the new Tariff Policy, 2015.

6.2 In view of above position, this Authority extends the validity of the existing SOR of KPT from the date of its expiry till 31 March 2016 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier. The KPT is directed to file its proposal for general revision of its SOR by 31 December 2015.

6.3. The treatment of additional surplus, if any, accruing to KPT for the period beyond 1 April 2013 will be governed by the new Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015.

T. S. BALASUBRAMANIAN**,** Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/15(278)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.